अध्याय - 1

विहंगावलोकन

अध्याय-1

विहंगावलोकन

1.1 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधिनियम, 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली के पास दोहरा अधिकार क्षेत्र अर्थात संघ सरकार एवं राज्य सरकार जैसी एक मिश्रित प्रशासनिक संरचना है। दिल्ली में 11 जिले तथा 33 उप मंडल है। रा.रा.क्षे. दिल्ली 1,483 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से 1,114 वर्ग कि.मी. शहरी तथा 369 वर्ग कि.मी. ग्रामीण क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली की भौगोलिक एवं सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा **तालिका 1.1** में दी गयी है:

तालिका 1.1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की रूपरेखा

क्र.स.	विवरण		आंकड़े
1	क्षेत्र		1483 वर्ग कि.मी.
2	जनसंख्या		
	क.	जनसंख्या (2011 जनगणना)	₹ 1.70 करोड़
	ख.	जनसंख्या 2020	₹ 2.04 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011जनगणना) (अखिल भारत का घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.
4	गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या (बीपीएल) 2011-12 (अखिल भारत का औसत = 21.9 *प्रतिशत*)		39.30 *प्रतिशत*
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारत का औसत= 73.0 *प्रतिशत*)		86.20 *प्रतिशत*
6	शिशु मृत्यु दर (2017) (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारत का औसत= प्रति 1000 जन्म पर 33)		16
7	जन्म के समय जीवन की उम्मीद (2013-17) (अखिल भारत का औसत = 69.4 वर्ष)		75.3
8	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2019-20		₹ 8,56,112 करोड़
9	प्रति व्यक्ति स.घ.उ./स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2011-12 से 2019-20)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	9.81 *प्रतिशत*
		अखिल भारत	9.84 *प्रतिशत*
10	स.घ.उ./स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर.(2011-12 से 2019-20)	रा.रा.क्षे.दिल्ली	12.08 *प्रतिशत*
		अखिल भारत	11.14 *प्रतिशत*
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2020)	11.09*प्रतिशत* (अखिल भारत)	20.03*प्रतिशत* (रा.रा.क्षे. दिल्ली)

स्रोत: एमओएसपीआई वेबसाईट, आर्थिक सर्वे 2019-20, एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन सारणी 2014-18, मानव विकास रिपोर्ट 2019 तथा मानव विकास रिपोर्ट 2020 एवं भारत की जनसंख्या अनुमान 2011 तथा 2011-2036 तक भारत के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या प्रक्षेपण।

1.1.1 रा.रा.क्षे. दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) एक दी गई समयावधि में राज्य की सीमाक्षेत्र के अन्दर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। स.रा.घ.उ. की वृद्धि राज्य की अर्थ-व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह समय के साथ राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां, स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय योगदान तथा स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि में परिवर्तन क्रमशः **तालिका 1.2, चार्ट 1.1** तथा **चार्ट 1.2** में दिये गये हैं

तालिका 1.2: राष्ट्रीय स.घ.उ. की तुलना में स.रा.घ.उ. में प्रवृत्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अखिल भारत स.घ.उ.	1,37,71,874	1,53,91,669	1,70,98,304	1,89,71,237	2,03,39,849
विगत वर्ष के साथ स.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	10.46	11.76	11.09	10.95	7.21
रा.रा.क्षे. दिल्ली का स.रा.घ.उ. (2011-12 अनुक्रम)	5,50,804	6,16,085	6,86,824	7,74,870	8,56,112
विगत वर्ष के साथ स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (*प्रतिशत* में)	11.32	11.85	11.48	12.82	10.48

स्रोत: भा.स. का आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) एवं आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

स.रा.घ.उ. के क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था के बदलते स्वरूप को समझने में भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को आम तौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कि कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होता है।

चार्ट 1.1: स.रा.घ.उ. के लिए क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)

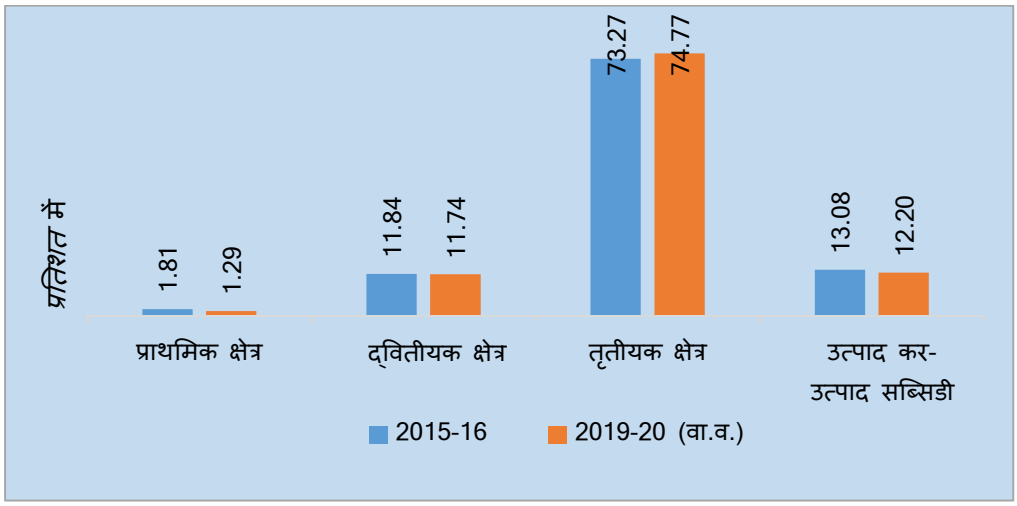

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

चार्ट 1.2: स.रा.घ.उ. में क्षेत्रीय वृद्धि

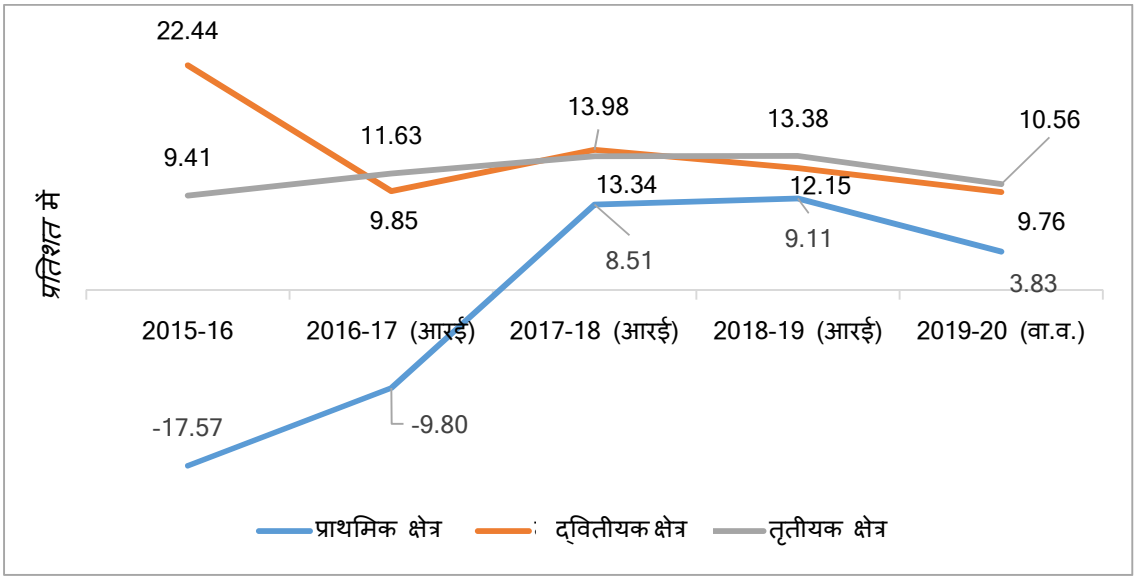

स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स.

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 48 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ताकि इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विधानमंडल के समक्ष रखा जा सके।

रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखे एवं विनियोजन लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आंकड़ों को तैयार करते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रा.रा.क्षे. दिल्ली का बजट: अनुमानों की तुलना में राजकोषीय मापदंडों और प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए;
- आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय तथा अन्य राज्यों से संबंधित सांख्यिकी से संगृहीत स.रा.घ.उ. आंकड़े;
- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम; और
- भारत के नि.म.ले.प. के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार को मसौदा प्रतिवेदन 4 मार्च 2021 को टिप्पणी हेतु अग्रेषित कर दिया गया था। सरकार के उत्तर, जहां प्राप्त हुए है, उन्हें उपयुक्त स्थानों पर इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित पाँच अध्यायों में की गई है:

अध्याय– 1	**विहंगावलोकन** यह अध्याय प्रतिवेदन के लिए आधार और दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-वित्तीय विश्लेषण तथा घाटा/अधिशेष सहित रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय– 2	**राज्य वित्त** यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों तथा रा.रा.क्षे. दिल्ली के वित्त लेखों पर आधारित रा.रा.क्षे. दिल्ली की ऋण रूपरेखा का विश्लेषण करता है।
अध्याय– 3	**बजटीय प्रबंधन** यह अध्याय रा.रा.क्षे. दिल्ली के विनियोजन लेखों पर आधारित है तथा रा.रा.क्षे.दि.स. के विनियोजन और आवंटित प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है एवं बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है।
अध्याय – 4	**लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार** यह अध्याय रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखों की गुणवत्ता और रा.रा.क्षे.दि.स. के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।
अध्याय – 5	**राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम** यह अध्याय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र-उपक्रमों के कामकाज पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखा संरचना तथा बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) के लेखों को दो भागों में रखा जाता है:

1. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 46)**

इस निधि में रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, भारत सरकार से प्राप्त किए गए सभी ऋण, अनुदान तथा ऋण के पुनर्भुगतान में रा.रा.क्षे.दि.स. से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि के अतिरिक्त कानून के अनुसार तथा उन उद्देश्यों और तरीकों के जैसा कि अधिनियम में प्रदत्त है, कोई भी धन विनियोजित नहीं किया जा सकता है।

2. **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकस्मिक निधि (रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम, 1991 की धारा 47)**

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून द्वारा स्थापित किया जाता है, और यह उपराज्यपाल के नियंत्रण में होता है जो उन अग्रिमों को स्वीकृत करने के लिए, जो किसी ऐसे अप्रत्याशित व्यय जिनका राज्य विधानमंडल द्वारा उन व्यय को अधिकृत किया जाना लंबित हो, को पूरा करने हेतु सक्षम बनाता है।

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली के लिए अलग से कोई लोक लेखा नहीं है। लोक लेखे से संबंधित लेन-देन (जमा, अग्रिम, प्रेषण और उचंत) का केन्द्रीय सरकार के लोक लेखे में विलय हो जाता है। रा.रा.क्षे.दि.स. का अंतिम शेष केन्द्र सरकार के सामान्य नगद शेष में समायोजित होता है और सरकार के पास जमा राशि के रूप में माना जाता है। रा.रा.क्षे. दिल्ली की राजकोषीय देयताओं में बड़े पैमाने पर लघु बचत संग्रह का हिस्सा शामिल है।

दिल्ली, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत नहीं आती है और केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के अंश के बदले में केवल विवेकाधीन अनुदान प्राप्त करती है।

राजस्व प्राप्तियों में रा.रा.क्षे. दिल्ली के कर तथा गैर-कर राजस्व एवं भारत सरकार (भा.स.) से सहायता अनुदान शामिल होते हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपति का निर्माण नहीं होता है। यह

सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कामकाज, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्ति निर्माण के लिए हो सकता है) के लिए किए गए खर्चों से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में रा.रा.क्षे.दि.स. की ऋण और अग्रिम की वसूली, भारत सरकार से ऋण के माध्यम से प्राप्तियाँ और विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ शामिल है।

पूँजीगत व्यय में मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश पर व्यय तथा सरकार द्वारा सा.क्षे.उ. तथा अन्य पार्टियों को दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

चार्ट 1.3: रा.रा.क्षे.दि.स. के सरकारी लेखे की संरचना

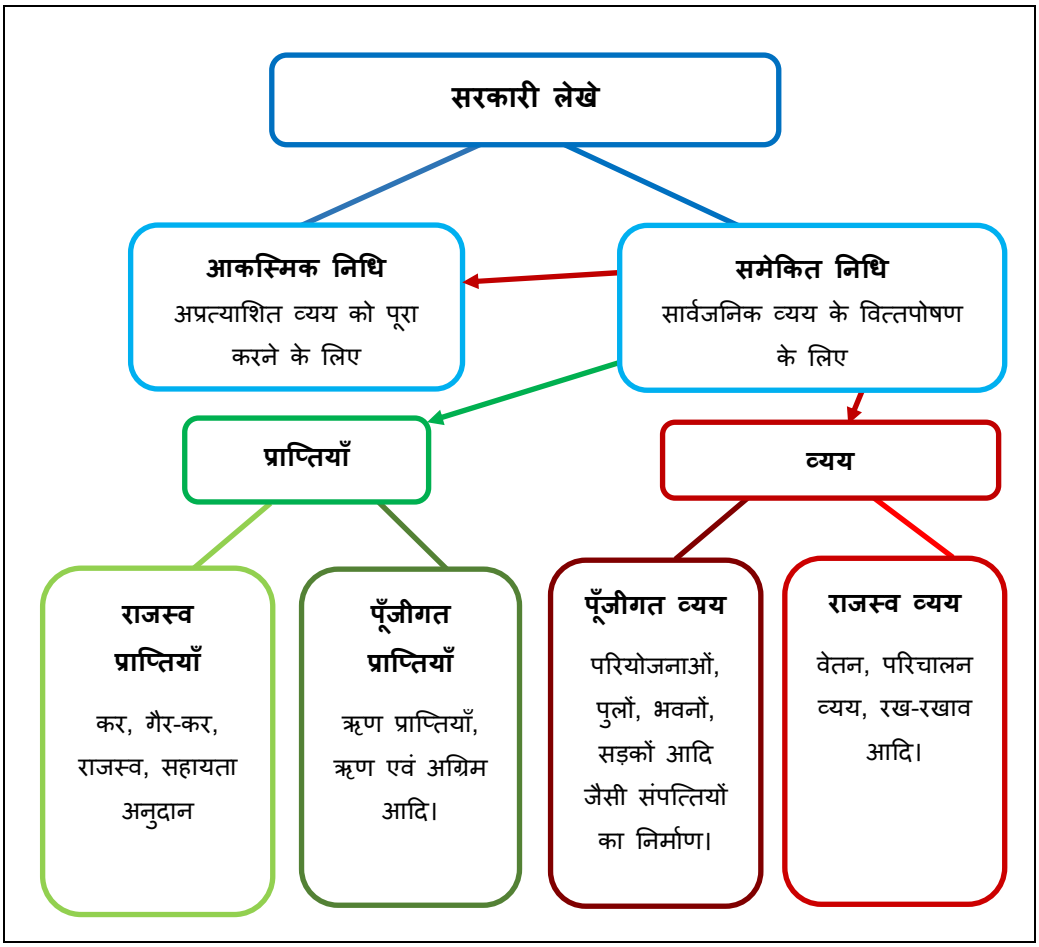

बजटीय प्रक्रियाएं

रा.रा.क्षे.दि.स. अधिनियम 1991, की धारा 27 के अनुसार, रा.रा.क्षे.दि.स. के उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में, विधानमंडल के समक्ष, उस वर्ष के लिए पूँजी की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण एक वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में प्रस्तुत कराएगा।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 28 के अनुसार, अनुदानों की मांग/विनियोजन के रूप में विवरण राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया जाता है और उसके अनुमोदन के पश्चात, अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत संचित निधि से आवश्यक धनराशि के विनियोजन के लिए विनियोजन विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वास्तविक वित्तीय परिणाम, वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान तथा 2018-19 के वास्तविक का तुलनात्मक विवरण प्रदान करता है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान प्राप्तियों एवं संवितरणों के साथ-साथ संपूर्ण राजकोषीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	**संघटक**	**2018-19 (वास्तविक)**	**2019-20 (बजट अनुमान)**	**2019-20 (वास्तविक)**	**ब.अ. से वास्तविक का *प्रतिशत***	**स.रा.घ.उ. से वास्तविक का *प्रतिशत***
1	कर राजस्व	**36,625**	**42,500**	**36,566**	86.04	4.27
2	गैर-कर राजस्व	644	800	1,097	137.13	0.13
3	सहायता अनुदान तथा अंशदान	5,844	6,717	9,473	141.03	1.11
4	**राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)**	**43,113**	**50,017**	**47,136**	94.24	5.51
5	ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	1,644	750	823	109.73	0.10
6	अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
7	उधार एवं अन्य देयताएं **(क)**	(-)756	1,455	1,954	134.30	0.23
8	**पूँजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)**	**888**	**2,205**	**2,777**	125.94	0.32
9	**कुल प्राप्तियाँ (4+8)**	**44,001**	**52,222**	**49,913**	95.58	5.83
10	**राजस्व व्यय, जिसका**	**36,852**	**44,781**	**39,637**	88.51	4.63
11	ब्याज भुगतान	**2,867**	**3,178**	**2,752**	86.60	0.32
12	**पूँजीगत व्यय (ख) जिसका**	**5,668**	**11,888**	**8,738**	73.50	1.02
13	**पूँजीगत परिव्यय**	**3,266**	**9,647**	**5,472**	56.72	0.64
14	ऋण एवं अग्रिम	**2,402**	**2,241**	**3,266**	58.61	0.38
15	**कुल व्यय (10+12)**	**42,520**	**56,669**	**48,375**	80.63	5.65
16	**राजस्व अधिशेष (4-10)**	**6,261**	**5,236**	**7,499**	143.22	0.88
17	**राजकोषीय घाटा {(4+5+6)-15}**	**2,237**	**(-)5,902**	**(-)416**	7.05	(-)0.05
18	**प्राथमिक अधिशेष (17+11)**	**5,104**	**5,795**[1]	**2,336**	40.31	0.27

(क) उधार तथा अन्य देयताएं: सार्वजनिक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)

(ख) पूँजीगत लेखों पर व्यय में पूँजीगत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अग्रिम शामिल है।

[1] स्रोत: रा.रा.क्षे.दि.स. के बजट 2019-20 एक नजर में

1.4.2 सरकार की संपत्ति और देयताओं का आशुचित्र

मौजूदा सरकारी लेखांकन प्रणाली में, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि और भवनों जैसी अचल संपत्तियों का व्यापक लेखा-जोखा नहीं किया जाता है। हालांकि, सरकारी लेखों में सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित संपत्ति शामिल होती हैं। संपत्तियों में मुख्य रूप से पूँजी परिव्यय और रा.रा.क्षे.दि.स. द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा आरंभिक नगद शेष शामिल हैं। देयताओं में केवल भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संपत्ति और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति **तालिका 1.4** में दी गई है:

तालिका 1.4: संपत्तियों और देयताओं की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं					परिसंपत्तियां				
		2018-19	**2019-20**	***प्रतिशत* वृद्धि**			**2018-19**	**2019-20**	***प्रतिशत* वृद्धि**
समेकित निधि									
क	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	32,812	34,767	5.96	क	सकल पूँजीगत परिव्यय	64,813	70,285	8.44
ख	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए पूँजीगत परिव्यय का शेष	1,588	1,588	0	ख	ऋण व अग्रिम	64,570	67,014	3.79
ग	1994-95 के दौरान ले.म.नि. से लिए गए ऋण एवं अग्रिम का शेष	3,356	3,356	0	ग	भारत सरकार के सामान्य नगद शेष में अंतिम नगद शेष का विलय	4,463	6,001	34.46
घ	राजस्व लेखा में अधिशेष	96,090	1,03,589	7.80					
कुल		**1,33,846**	**1,43,300**	**7.06**	**कुल**		**1,33,846**	**1,43,300**	**7.06**

नोट: 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को क्रमशः ₹ 64,813 करोड़ तथा ₹ 70,285 करोड़ की संपत्ति में सकल पूँजीगत परिव्यय शीर्ष के अंतर्गत ₹ 1,588 करोड़ की राशि शामिल है जिसे 1994-95 के दौरान लेखा महानियंत्रक से लिया गया था। इसी प्रकार, 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2020 को संपत्ति के पक्ष में दर्शाए गए ऋण और अग्रिम क्रमशः ₹ 64,570 करोड़ और ₹ 67,014 करोड़ थे जिसमें 1994-95 के दौरान ले.म.नि. से ली गई ₹ 3,356 करोड़ शामिल थे।

1.5 अधिशेष/घाटे में प्रवृत्तियां

चार्ट 1.4 एवं **1.5** 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान अधिशेष/घाटे के संकेतकों तथा स.रा.घ.उ. से संबंधित अधिशेष/घाटे की प्रवृत्तियों को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: 2015-16 से 2019-20 की समाप्ति पर अधिशेष/घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

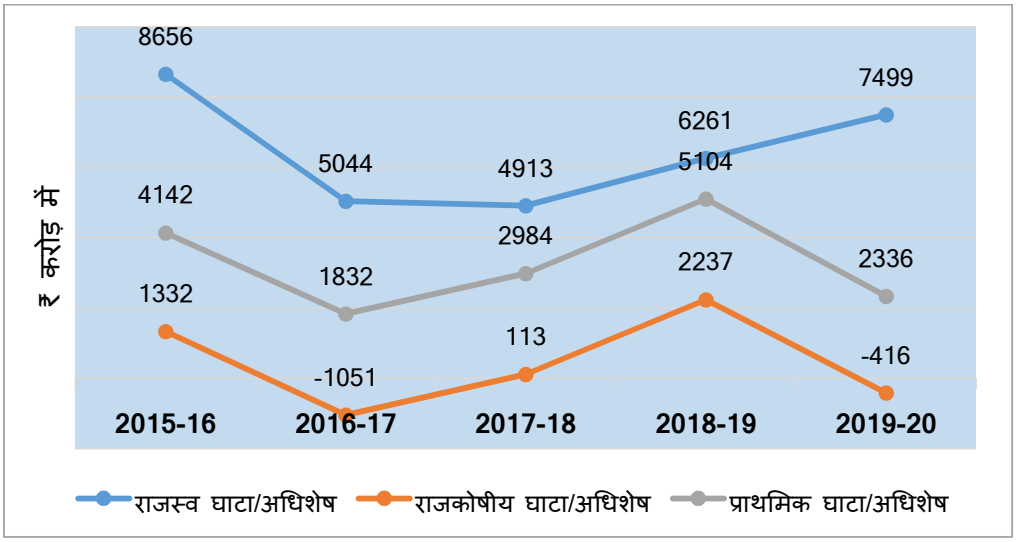

चार्ट 1.5: 2015-16 से 2019-20 की अवधि की समाप्ति पर स.रा.घ.उ. से संबंधित घाटे के संकेतकों की प्रवृत्तियां

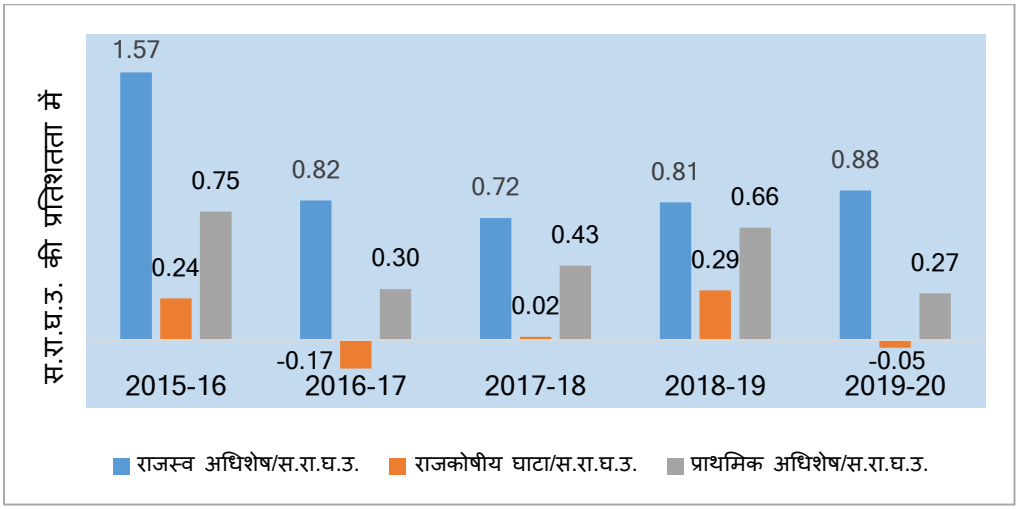

राजस्व अधिशेष राजस्व व्यय के प्रति राजस्व प्राप्तियों की अधिकता को दर्शाता है। 2019-20 में ₹ 7,499 करोड़ का राजस्व अधिशेष इंगित करता है कि राजस्व व्यय को करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त राजस्व प्राप्तियाँ है। 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली में लगातार राजस्व अधिशेष रहा है।

2015-16 में राजकोषीय अधिशेष ₹ 1,332 करोड़ था जो कि 2016-17 के दौरान ₹ 1,051 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया तथा पुनः 2017-18 में ₹ 113 करोड़ के अधिशेष में परिवर्तित हो गया। 2018-19 के दौरान

राजकोषीय अधिशेष ₹ 2,237 करोड़ था, जो कुल व्यय में ₹ 42,520 करोड़ से ₹ 48,375 करोड़ की वृद्धि तथा उसी अवधि के दौरान ऋण एवं अग्रिमों की वसूली में ₹ 1,644 करोड़ से ₹ 823 करोड़ की कमी के कारण 2019-20 के दौरान ₹ 416 करोड़ के घाटे में परिवर्तित हो गया।

2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली के पास प्राथमिक अधिशेष था जो 2018-19 में ₹ 5,104 करोड़ की तुलना में 2019-20 में ₹ 2,336 करोड़ हो गया। प्राथमिक अधिशेष में कमी मुख्यतः कुल व्यय में वृद्धि के कारण थी।

2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.81 *प्रतिशत* के प्रति 2019-20 में राजस्व अधिशेष स.रा.घ.उ. का 0.88 *प्रतिशत* हो गया। 2018-19 में स.रा.घ.उ. के 0.29 *प्रतिशत* के राजकोषीय अधिशेष के प्रति 2019-20 में स.रा.घ.उ. के (-) 0.05 *प्रतिशत* का राजकोषीय घाटा हो गया। रा.रा.क्षे. दिल्ली, भा.स. द्वारा वहन की जा रही रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की पेंशन देयताओं के कारण राजस्व अधिशेष को बनाए रखने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस का व्यय भी गृह मंत्रालय, भा.स. वहन करता है। 2019-20 के दौरान रा.रा.क्षे.दि.स. के कर्मचारियों की ₹ 1,315.72 करोड़ की पेंशन देयताओं तथा दिल्ली पुलिस के ₹ 8,208.51 करोड़ के राजस्व व्यय का वहन भा.स. द्वारा किया गया था।